न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा) Page 1 to 3

काशी यादव वगैरह
बनाम
भू० वि० वाद सं० → 25/12-13 बिहार सरकार
C.C. Issued
e-No 172/18/12/12

आदेश

5.9.12 यह वाद काशी यादव पे० स्व० गंगा राम यादव वो अन्य सभी साकिनान मौजा पचडा थाना मनीगाछी अंचल तारडीह जिला दरभंगा बनाम बिहार सरकार, वो अन्य बनाम के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के अन्तर्गत विहित प्रक्रियानुरूप दाखिल परिवाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादीगणों द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि मौजा ओझौल थाना नं० 359 थाना बहेड़ा ओ०पी० वो अंचल अलीनगर जिला दरभंगा के नया खाता 1203 नया खेसरा 2543 के नाम से अनाबाद बिहार सरकार के खाता सुधार हेतु वाद दाखिल है। उल्लेखित है कि नया खाता 1203 नया खेसरा नं० 2543 पुराना खेसरा नं० 1368, 1371, 1372, 1370, के आंशिक भाग से बना है जो प्रार्थी के पुर्वजों ने जमींदार कैवाला 1967 ई० से खरीदगी की दाखिल खारिज कराकर लगान भुगतान करते आ रहे हैं। रजिस्ट्रीकृत कैवाला सं० 13529 दिनांक 24.11.65 बाबते भोला यादव बनाम सीता राम यादव CSP 1368 रकबा 0-1-11, CSP 1372 रकबा 0-2-06; कैवाला सं० 2424 दिनांक 18.3.1963 बाबते मथोमात मुर्ति बनाम सीताराम यादव CSP 1370 रकबा 0-2-01 एवं कैवाला सं० 4827 दिनांक 07-05-1966 बाबते चतुरमानाराम यादव बनाम सीताराम यादव वगैरह CSP 1371 रकबा 0-1-17 द्वारा यह भूमि वादीगणों के पुर्वजों की खरीदगी है। उपरोक्त वादीगण उक्त भूखंड के जोतआबाद रैयत हैं तथा बिहार सरकार को कभी मतलब वो सरोकार उक्त भूखंड से नहीं रहा है। भूल स्वरुप पदाधिकारी ने मौजा ओझौल थाना नं० 359 का खाता 1203 RSP 2543 अनाबाद बिहार सरकार के नाम से गलती से दर्ज कर दिया जिसका सुधार आवश्यक है। यह भी उल्लेखित है कि विवादित भूखंड का रकबा 46 डि० है जिसमें सर्वेगण का रकबा आधा अर्थात 23 डि० वादीगणों का है। इन्हीं तथ्यों के आधार वादीगणों ने RS खाता 1203 RSP 2543 रकबा 23 डि० का सुधार कर अनाबाद बिहार सरकार का

नाम काश्तकार काशी यादव पे० गंगाराम यादव, रामकृष्ण यादव पेसर बैजनाथ यादव, मनोरी यादव पे० सीताराम यादव कैफियत मकान दर्ज करने का आदेश पारित करने का उल्लेख किया है।

प्रतिवादी राज्य की तरफ से DGP द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 03.07.12 में उल्लेखित है कि तनाजा भूमि बिहार राज्य की भूमि है जिसपर वादी का कोई दखल या स्वीकार नहीं है। यह वाद 80 C.P.C. के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज योग्य है। रिविजनल सर्वे खतियान में तनाजा भूमि पर बिहार राज्य का स्वामित्व एवं दखल पाए जाने के आधार पर अनाबाद बिहार सरकार के रूप में खाता खोला गया जो सर्वथा उचित है। इस प्रकार यह वाद खारिज योग्य है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन सुना तथा उनके द्वारा list of documents के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों यथा RS खतियान RS खाता सं० 1203 की छाया प्रति, लगान रसीद सं० 863529 दिनांक 19.9.79; तनाजा भूमि का ट्रेस मैप; R.T.I के तहत जिला अभिलेखागार से प्राप्त सूचना; निबंधित केवाला सं० 4827 दिनांक 7.5.66 नाविते रघुनाथ यादव बनाम सीताराम यादव वगैरह की छाया प्रति; निबंधित केवाला सं० 2424 दिनांक 18.3.63 नाविते मीरमात मुखी बनाम सीताराम यादव की छाया प्रति एवं केवाला संख्या 13529 दिनांक 24.11.1965 नाविते भोला यादव बनाम सीताराम यादव की छाया प्रति का अवलोकन किया।

प्रतिवादी राज्य की तरफ से DGP का अभिकथन सुना।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का अभिकथन सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व सूक्ष्म परीक्षोपरान्त यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित व स्थापित नहीं हो पा रहा है कि RSP 2543 किन किन पुराने CS प्लॉट से बना। वादी द्वारा इससे संबंधित एक ट्रेस नक्शा दाखिल है जिसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा list of documents द्वारा R.T.I के तहत जिला अभिलेखागार से प्राप्त सूचनानुसार CSP 1367 एवं CSP 1368 के कैफियत कॉलम में श्रीकृष्ण नोटिस पक्षकार नं० 716 संबंधित उद्धरण उल्लेखित है। वादपत्र के अनुसार RSP 2543 CSP 1368, 1371, 1372, 1370, 1367 के आंशिक भाग से बना है। CSP 1370, CSP 1371 एवं CSP 1372 के CS खतियानी रैयत कौन थे इससे संबंधित कोई साक्ष्य वादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। क्या यह भूमि रैयती थी अथवा गैरमजरुआ खास या गैरमजरुआ मालिक, इससे संबंधित साक्ष्य वादी द्वारा उपलब्ध नहीं है। CS खतियानी रैयत से वादी के पूर्वजों के विक्रेता को तनाजा भूमि प्राप्त होने से title स्थापित नहीं होता है।

BLAR Case No → 25/12-13

Revisional Survey कार्यवाही के दौरान रैयत तकमरी [illegible]
भूमि का स्वरूप भीठ पाए जाने के आधार पर RS खतियान बना जिसका
इस वाद के कायम होने के पूर्व प्रतिवादी या उनके पूर्वजों द्वारा कोई प्रतिवाद
दाखिल करने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यदि वादी
के पूर्वजों का तकमरी भूमि पर यदि रिविजनल सर्वे कार्यवाही के दौरान
दखल कब्जा रहता तो R.S के कैफियत कॉलम में वादी के पूर्वज दखलकार के
रूप में विवरण अंकित रहता जो नहीं है। इस प्रकार तकमरी भूमि पर वादी
का पूर्व में दखल कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। तकमरी भूमि का
स्वरूप भी स्वाभाविक भीठ है।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आलोक में यह
प्रमाणित होता है कि वादी अपने वाद को ठोस रूप से एवं सबूत से
यहाँ प्रमाणिक रूप से स्थापित करने में असफल रहे।

अतः इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित व संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर